

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड, जिला वाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या ...60 /2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

संज्ञस्थान राज्य

जरिये पटवारी धारवी कला

श्री सकूर खां पुत्र बसदीरु खां
कौम मुसलमान निवासी सुटडगढ़।

“निर्णय”

दिनांक:- 28.08.2024

पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड में पेश हुई और गैर सायल **अनुपस्थित**। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धारवी ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा ने मौजा सुटडगढ़ के खसरा नं 569/100 रकबा 41.2455 हैक्टैयर में से 0.0161 हैक्टैयर किरम गै.मु. रड़ी राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण / कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल **अनुपस्थित** रहा।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से वेदखल करने का आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रुपये 06/- पूर्णांक में अक्षरे **छः** रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त -को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अतिक्रमी से जुर्माना वारंते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से वेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आ.ए. के पास मांग कायमी हेतु गंजी जावें।

निर्णय दिनांक 28.08.2024 को सरेआम सुनाया गया।


नायब तहसीलदार भिंयाड